मध्यप्रदेश विधान सभा

नवम्बर-दिसम्बर,2004 सत्र

दैनिक कार्य सूची

बुधवार, दिनांक 8 दिसम्बर, 2004 (अग्रहायण 17, 1926)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. नियम 138(1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री अंतर सिंह दरबार, सदस्य, धार जिले के पीथमपुर क्षेत्र में स्थित फैक्ट्रियों द्वारा जहरीला अपशिष्ट खेतों में फेंके जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर राज्यमंत्री आवास एवं पर्यावरण का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, सदस्य, दतिया एवं ग्वालियर जिले में स्थित डबरा चीनी मिल क्षेत्र में अवैध रूप से पावर क्रेशर चलाये जाने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

3. याचिकाओं की प्रस्तुति

श्री गजराज सिंह सिकरवार, सदस्य, मुरैना जिले के -

(क) ग्राम गुढ़ा चम्बल स्थित प्राथमिक विद्यालय का भवन निर्माण कराये जाने,

(ख) ग्राम पायथा से ग्राम बागचीन तक सड़क मार्ग का निर्माण कराये जाने, तथा

(ग) ग्राम नन्दपुरा के पास नहर पर पुलिया बनाये जाने,

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

4. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री उमाशंकर गुप्ता, राज्यमंत्री परिवहन, मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2004 (क्रमांक 23 सन् 2004) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरः*स्थापित करेंगे.*

निर्धारित समय 1 घन्टा 30 मि.

(2) श्री जयंत मलैया, नगरीय प्रशासन तथा विकास मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) विधेयक, 2004 (क्रमांक 15 सन् 2004) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

(3) श्री कैलाश चावला, वाणिज्यिक कर मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2004 (क्रमांक 18 सन् 2004) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

(4) श्री कैलाश चावला, वाणिज्यिक कर मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2004 (क्रमांक 19 सन् 2004) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

(5) श्री कैलाश चावला, वाणिज्यिक कर मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर (संशोधन) विधेयक, 2004 (क्रमांक 20 सन् 2004) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

(6) श्री राजेन्द्र शुक्ल, राज्यमंत्री आवास एवं पर्यावरण, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) विधेयक, 2004 (क्रमांक 21 सन् 2004) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

(7) श्री अनूप मिश्रा, जल संसाधन मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी (संशोधन) विधेयक, 2004 (क्रमांक 22 सन् 2004) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

5. प्रतिवेदन पर चर्चा

2 घन्टे

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2002-2003 पर चर्चा.

डॉ. ए.के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल
दिनांक : 7 दिसम्बर, 2004.